न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी **इन्द्रजीत सिंह**, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 109/2009 (रे.वि.)
पंजीयन दिनांक 17.09.2009

1–सरकार जरिये तहसीलदार, चित्तौड़गढ़
2–सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर
3–निरीक्षक, देवस्थान विभाग, उदयपुर
4–नायब तहसीलदार, चित्तौड़गढ़

–प्रार्थीगण

बनाम

1–श्री मांगू पिता रूपा बलाई
2–श्री ऊंकार पिता लालू बलाई
3–श्री भगवान पिता केला बलाई
4–श्री कालू पिता रामा बलाई
5–श्री भैरूदास पिता स्व. चतरभुज दास बैरागी (वैष्णव)
6–श्री शान्तिलाल पिता स्व. चतरभुज दास बैरागी (वैष्णव)
7–श्रीमति सोहनीबाई पत्नि स्व. चतरभुज दास बैरागी (वैष्णव) सभी निवासीयान नरपत की खेडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

विपक्षीगण

आदेश कमांक राजस्व/12–12(36)04/1245 दिनांक 31.07.2004 के विरूद्ध विपक्षीगण द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ में अपील अन्तर्गत धारा 225 काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत करने पर प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने से ।

उपस्थितिः 1–श्री मनोहर लाल दक, राजकीय अभिभाषक
2–श्री मोहन लाल जाट, अधिवक्ता, विपक्षी सं. 1 से 4
3–श्री चन्द्रशेखर जोशी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 5 से 7

निर्णय

दिनांक 29.05.2018

प्रस्तुत प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नरपत की खेडी, तहसील चित्तौड़गढ़ के जमाबन्दी सम्वत् 2057-60 खाता संख्या 131 के आराजी नम्बर 27 रकबा 0.99 है., आ. नं. 28 रकबा 0.29 है., आ. नं. 29 रकबा 0.33 है., आ. नं. 30 रकबा 0.29 है., आ. नं. 31 रकबा 0.29 है., आ. नं. 32 रकबा 0.05 है., आ. नं. 33 रकबा 0.05 है., आ. नं. 34 रकबा 0.31 है., आ. नं. 35 रकबा 0.33 है., आ. नं. 336 रकबा 0.09 है., आ. नं. 337 रकबा 0.03 है., आ. नं. 338 रकबा 0.05 है., आ. नं. 339 रकबा 0.15 है. एवं आ. नं. 491 रकबा 0.15 है. किता 14 कुल क्षेत्रफल 3.40 हैक्टेयर भूमि श्री चारभुजाजी स्थान देह के नाम खातेदारी में दर्ज रेकार्ड होकर जमाबंदी मेवाड स्टेट सम्वत् 2001 अनुसार भी उक्त आराजीयात श्री चारभुजाजी स्थान देह के नाम दर्ज थी। उक्त मंदिर की भूमि के संबंध में ग्रामवासियान नरपत की खेडी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त मंदिर की भूमि पर कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों का कब्जा होने व मंदिर की भूमि को खुर्द-बुर्द होने से बचाने का अनुरोध करने पर तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार (अनु.3) विभाग के पत्र दिनांक 27.05.2002 के अनुसरण में उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ एवं तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ को उक्त भूमि एवं इस पर स्थित परिसम्पत्तियों का भौतिक रूप से कब्जा, अवैध रूप से काबिज व्यक्तियों को हटाकर, समिति के अध्यक्ष नायब तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ को मौके पर दिलाने का आदेश दिनांक 31.07.2004 को पारित किया गया।

उक्त पारित आदेश से असंतुष्ट होकर विपक्षी संख्या 1 से 4 ने माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के यहां व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 96 के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत की। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने प्रकरण संख्या अपील 231/2004/टी. ए. निर्णय दिनांक 15.12.2008 से अपील अपीलांट स्वीकार कर इस कार्यालय के आदेश दिनांक 31.07.2004 को निरस्त कर अपीलान्ट्स को सुनवाई का समुचित अवसर देकर आदेश पारित करने हेतु प्रकरण पुनः इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान् को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहन लाल जाट ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। विपक्षी संख्या 5 से 7 की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर जोशी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा. दी. प्रस्तुत किया जिस पर बाद बहस प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी संख्या 5 से 7 को पक्षकार बनाया गया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 5 से 7 की ओर से भी जवाब प्रस्तुत हुआ। उभय पक्ष के सहमत होने पर बहस प्रकरण सुनी गई।

राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि ग्राम नरपत की खेडी के जमाबन्दी सम्वत् 2057-60 में खाता संख्या 131 के आराजी नम्बर 27 रकबा 0.99 है., आ. नं. 28 रकबा 0.29 है., आ. नं. 29 रकबा 0.33 है.,

आ. नं. 30 रकबा 0.29 है., आ. नं. 31 रकबा 0.29 है., आ. नं. 32 रकबा 0.05 है., आ. नं. 33 रकबा 0.05 है., आ. नं. 34 रकबा 0.31 है., आ. नं. 35 रकबा 0.33 है., आ. नं. 336 रकबा 0.09 है., आ. नं. 337 रकबा 0.03 है., आ. नं. 338 रकबा 0.05 है., आ. नं. 339 रकबा 0.15 है. एवं आ. नं. 491 रकबा 0.15 है. किता 14 कुल क्षेत्रफल 3.40 हैक्टेयर भूमि श्री चारभुजाजी स्थान देह के नाम खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है तथा जमाबंदी मेवाड स्टेट सम्वत् 2001 अनुसार भी उक्त आराजीयात श्री चारभुजाजी स्थान देह के नाम पर ही दर्ज रेकार्ड थी। उक्त मंदिर की भूमि पर विपक्षीगणों द्वारा अवैध कब्जा कर उसके स्परूप को परिवर्तित किया जा रहा है तथा उसे खुर्द-बुर्द किया जा रहा है इस संबंध में विपक्षीगणों के विरूद्ध ग्रामवासियान नरपत की खेडी द्वारा शिकायत भी प्रस्तुत की गई है। चूंकि वर्तमान में भी उक्त भूमि श्रीचारभुजाजी स्थान देह के नाम दर्ज होने से एवं विपक्षीगणों का अवैध कब्जा होने से उन्हें बेदखल कर प्रशासनिक सुधार (अनु.-3) विभाग के परिपत्र दिनांक 27.05.2002 अनुसार नायब तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति को कब्जा सिपुर्द किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

विपक्षी संख्या 1 से 4 के अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि उक्त भूमि श्री चारभुजाजी स्थान देह ग्राम नरपत की खेडी के खातेदारी की नहीं होकर विपक्षीगण के खातेदारी व कब्जे की पुश्तैनी भूमि है। जमाबन्दी सम्वत् 2001 के अनुसार खाता संख्या 44/24(ग), 44/24(घ), 44/24(क), 44/24ड, 44/22(ख), में आ. नं. 165 रकबा 2.14 बीघा, आ. नं. 159 रकबा 5.11 बीघा, आ. नं. 162 रकबा 1.04 बीघा, आ. नं. 161 रकबा 1.08 बीघा, आ. नं. 160 रकबा 3.01 बीघा, आ. नं. 163 रकबा 0.04 बीघा रास्ता एवं आ. नं. 164 रकबा 0.05 बीघा आ. चा. किता 07 कुल क्षेत्रफल 14.07 बीघा भूमि विपक्षीगण के पूर्वज खातेदार काश्तकार होकर पुरातन काल से ही इसका उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे हैं एवं लगान भी बराबर अदा करते आ रहे हैं। इन पुराने नम्बरों के आधार पर ही नये नम्बर बने हैं। इस प्रकार भूमि श्री चारभुजाजी स्थान देह की खातेदारी की नहीं होकर विपक्षीयान के खातेदारी की है। राजस्थान सरकार ने सन् 1963 में माफी रिजूम की जिससे मालिक हासिल चारभुजाजी स्थान देह हटाकर राजस्थान सरकार दर्ज हुयी। अब चारभुजाजी स्थान देह के बजाय राजस्थान सरकार लगान वसूल कर रही है। गत सेटलमेंट की जमाबन्दी में विपक्षीगण के पिता का नाम खातेदार के रूप में एवं कॉलम संख्या 4 में शिकमी, पुजारी की हैसियत से भुरादास वल्द हीरादास बैरागी सा. देह के नाम पुजारी की हैसियत से दर्ज थी जो वर्तमान सेटलमेंट के अनुसार आराजी नम्बर 27 से 35 रकबा 2.91 है. दर्ज है। सन् 1992 में राज. सरकार द्वारा परिपत्र जारी कर मन्दिर की भूमियों से पुजारी का नाम हटाने का आदेश दिया जिनके साथ-साथ विपक्षी संख्या 1 से 4 का नाम भी गलत तरीके से बिना सुनवाई का अवसर दिये हटा दिया गया जिससे पुनः विपक्षी संख्या 1 से 4 का

नाम राजस्व रेकार्ड मे खातेदार की हैसियत से दर्ज कराने हेतु सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ के न्यायालय में कार्यवाही की जा रही है। अतः सम्वत् 2001 अनुसार विपक्षीगण के नाम पुनः खातेदारी में दर्ज होने तक विपक्षीगण को विवादित भूमि से बेदखल नहीं किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

अधिवक्ता विपक्षी संख्या 5 से 7 का मुख्य कथन यहा रहा कि विपक्षीगण के पिता या पूर्वजों ने किसी प्रकार से विवादित भूमि को खुर्द-बुर्द नहीं किया है और न ही रहन, बह, या बक्षीस की है। वादग्रस्त खाते की जमाबन्दी में अंकित आराजी संख्या 336 से 339 का मूल साबिक खसरा नम्बर 314 था जो विपक्षी संख्या 5 से 7 के दादाजी स्व. श्री भूरदास पिता हीरादास बैरागी के नाम खुदकाश्त में दर्ज थी किन्तु भूप्रबन्ध विभाग के अधिकारियों ने विधि-विरूद्ध कार्यवाही कर रेकार्ड मे कांट-फांस कर श्री चारभुजाजी का नाम अंकित कर दिया। जमाबन्दी सम्वत् 2008 से 2030 तक जमाबन्दी के कॉलम सं. 5 में नाम कृषक विवरण में विपक्षीगण के दादाजी भूरदास का नाम बतौर खुदकाश्तकार की हैसियत से निरंतर दर्ज रहा उनका स्वर्गवास हो जाने पर विरासत से इंतकाल संख्या 189 के जरिये दिनांक 14.05.71 को वारिसान मांगीदास, गोपीदास, चतरभुजदास एवं रतनदास बैरागी का नाम दर्ज होकर संवत् 2045 से 2048 तक इन्द्राज था। काश्तकार मांगीदास, गोपीदास एवं रतनदास का स्वर्गवास हो जाने एवं इनके जायन्दा औलाद नहीं होने से जरिये इन्तकाल संख्या 20 दिनांक 21.11.89 को वादग्रस्त आराजीयात के खाते की जमाबन्दी में दर्ज खसरा नम्बर 336 से 339 के रेकार्ड में विपक्षीगण के पिता चतरभुजदास पिता भूरदास का नाम बतौर काश्तकार की हैसियत से इन्द्राज रहा। परन्तु भूप्रबन्ध विभाग के अधिकारियों द्वारा बिना कोई अधिकार वर्ष 1969 में वादग्रस्त खसरा नम्बर 336 से 339 का खाता विलुप्त कर उक्त आराजीयात को मंदिर की भूमि के खाते में दर्ज कर दिये जाने एवं राज्य सरकार के द्वारा जारी परिपत्र कमांक प. 2(4)राज/4 /90/37 दिनांक 13.12.91 के आदेशानुसार मंदिर खाते की भूमि से दर्ज पुजारियों के नाम हटाने से विपक्षी संख्या 5 से 7 के पिता की खुदकाश्त खाते की जमीन के रेकार्ड से भी नाम विलुप्त कर आराजी संख्या 336 से 339 को मंदिर मूर्ति के खाते में दर्ज कर दिया है। वर्तमान में भी विपक्षी संख्या 5 से 7 ही मंदिर की सेवा-पूजा एवं प्रबन्ध व्यवस्था कर रहे हैं। अतः आराजी संख्या 336 से 339 को रिसिवरी कार्यवाही से मुक्त रखा जाकर विपक्षीगण को बेदखल नहीं किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। जिसके अनुसार जमाबन्दी सम्वत् 2057-60 में ग्राम नरपत की खेडी के खाता संख्या 131 में आराजी नम्बर 27 रकबा 0.99 है., आ. नं. 28 रकबा 0.29 है., आ. नं. 29 रकबा 0.33 है., आ. नं. 30 रकबा 0.29 है., आ. नं. 31 रकबा 0.29 है., आ. नं. 32 रकबा 0.05 है., आ. नं. 33 रकबा 0.05 है., आ. नं. 34 रकबा 0.31 है.,

प्रकरण संख्या 109/2009 (रे.वि.)
सरकार जरिये तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ बनाम श्री मांगू पिता रूपा बलाई निवासी नरपत की खेडी तहसील चित्तौड़गढ़ वगैरा

आ. नं. 35 रकबा 0.33 है., आ. नं. 336 रकबा 0.09 है., आ. नं. 337 रकबा 0.03 है., आ. नं. 338 रकबा 0.05 है., आ. नं. 339 रकबा 0.15 है. एवं आ. नं. 491 रकबा 0.15 है. किता 14 कुल क्षेत्रफल 3.40 हैक्टेयर भूमि श्री चारभुजाजी स्थान देह के नाम खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि जागीर रिजम्शन के पश्चात् प्रथम सेटलमेंट के वक्त भी श्री चारभुजाजी स्थान देह ग्राम नरपत की खेडी की खातेदारी मे दर्ज रेकार्ड थी।

ग्रामवासियान नरपत की खेडी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त मंदिर की भूमि पर कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर भूमि के स्वरूप को परिवर्तित करने, काबिज पुजारियों द्वारा भूमि को विक्रय/रहन करने एवं मंदिर भूमि को खुर्द-बुर्ज करने संबंधी शिकायत करने पर तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ से विवादित भूमि के संबंध में जांच करवाई गई। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया कि वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2057-60 के ग्राम नरपत की खेडी के खाता संख्या 131 में कुल किता 14 रकबा 3.40 है. भूमि श्री चारभुजाजी स्थान देह के खातेदारी में दर्ज है जिसको पुजारियों द्वारा अन्य व्यक्तियों को अवैधानिक दस्तावेजों के आधार पर गिरवी देना/विक्रय करना एवं कुछ असामाजिक प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण करना तथा मंदिर भूमि को खुर्द-बुर्द करने की पुष्टि करते हुए भविष्य में भी मंदिर भूमि खुर्द-बुर्द होने की संभावना व्यक्त की है।

चूंकि राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग के पत्रांक प6(17)अनु-3/2002 दिनांक 27.05.2002 से राजस्थान के राजकीय विज्ञापित मन्दिरो के अलावा अर्थात जो अराजकीय मन्दिर/पूजा स्थल है उनकी उचित व्यवस्था हेतु तहसील स्तर पर निम्नलिखित प्रकार से समितियों का गठन किया गया है

1.	नायब तहसीलदार	:-	अध्यक्ष
2.	निरीक्षक देवस्थान विभाग	:-	सदस्य
3.	पंचायत समिति द्वारा मनोनीत एक सदस्य	:-	सदस्य

उक्त समिति का दायित्व मुख्य रूप से धार्मिक स्थलों की भूमि पर होने वाले अतिक्रमण/नाजायज कब्जे एवं अनाधिकृत रूप से काबिज व्यक्तियों की मंदिर भूमि मे खातेदारी दर्ज करने की घटनाओं को प्रभावी ढ़ंग से रोकना तथा उन्हें मुक्त कराना, धार्मिक स्थानों के स्थानीय व्यक्तियों की आस्था और विश्वास के अनुरूप संरक्षण एवं विकास हेतु समुचित कार्यवाही करना, उचित प्रबन्धन एवं कृषि भूमि को समय-समय पर उचित व्यक्तियों को काश्त हेतु अथवा उचित कार्य हेतु अस्थाई रूप से आवंटित करना और प्राप्त होने वाली आय को मन्दिर के प्रबन्ध/सेवा-पूजा/धार्मिक आयोजनों आदि के लिए उचित ढ़ंग से लगाना एवं मन्दिर का विकास करना है।

चूंकि मेवाड़ स्टेट से लगाकर वर्तमान में भी विवादित भूमि श्री चारभुजाजी स्थान देह ग्राम नरपत की खेडी के नाम दर्ज रेकार्ड है एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी. बी. सिविल स्पेशल अपील नम्बर 1147/1997 निर्णय दिनांक 07.11.1997 मांगीलाल वगैरा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के पैरा संख्या 13 मे निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है:-

"it is the obligation/function of the state to look after the welfare of the diety being a person may be juristic may be a person on account of fiction of law but incapable to protect its interest being a perpetual minor and disabled physically {vide (12) Ramlal v/s. Board of Revenue 1990 (1) RLR 161DB}"

जिसके अनुसार मूर्ति शाश्वत अवयस्क है एवं मंदिर मूर्ति की भूमि एवं सम्पत्ति को सुरक्षित रखने एवं उचित प्रबन्धन का दायित्व राज्य सरकार का है। ग्रामवासियान नरपत की खेडी द्वारा भी विवादित भूमि के कब्जेदारों द्वारा उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने, स्परूप परिवर्तन करने की आशंका व्यक्त करते हुए शिकायत प्रस्तुत की है तथा तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ ने भी अपने जांच प्रतिवेदन में उक्त तथ्य की पुष्टि की है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उक्त न्याय सिद्धान्त एवं जन भावनाओं के मध्य नजर तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से श्री चारभुजाजी स्थान देह के नाम ग्राम नरपत की खेडी के खाता संख्या 131 में कुल किता 14 कुल रकबा 3.40 हैक्टेयर खातेदारी भूमि एवं इस पर स्थित परिसम्पत्तियों का कब्जा राज्य सरकार के पत्र दिनांक 27.05.2002 में गठित समिति को दिया जाना उचित मानते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विपक्षीगण को इस न्यायालय स्तर पर कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती। अतः इस कार्यालय के पूर्व आदेश दिनांक 31.07.2004 को यथावत रखते हुए श्री चारभुजाजी स्थान देह के नाम ग्राम नरपत की खेडी के खाता संख्या 131 की भूमि किता 14 कुल रकबा 3.40 है. एवं इस पर स्थित परिसम्पत्तियों का कब्जा राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग के पत्र दिनांक 27.05.2002 मे गठित समिति को दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ एवं तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ उक्त वर्णित भूमि एवं इस पर स्थित परिसम्पत्तियों से अवैध काबिज व्यक्तियों को हटाकर, भौतिक रूप से कब्जा समिति के अध्यक्ष नायब तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ को मौके पर दिला पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को यह भी आदेश दिए जाते हैं कि किसी भी न्यायालय से उक्त विवादित भूमि के संबंध में कोई भी निर्णय पारित होने की स्थिति में इस न्यायालय को तुरन्त अवगत करावें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(इन्द्रजीत सिंह)